तत्काल

विषय :—निलम्बित कर्मचारियों/अधिकारियों के मामलों का शीघ्र निपटान करने बारे हिदायतें-सरकार की रिपोर्ट का भेजा जाना।

क्या हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के परिपत्र क्रमांक 2/12/2 जी. एस. III, दिनांक 2 अप्रैल, 1980 के साथ स्थित पत्र व्यवहार की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

2. मास फरवरी, की रिपोर्ट जो कुछ विभागों से प्राप्त हुई है के अवलोकन से विदित हुआ है कि निलम्बित कर्मचारियों के केसों के निपटान की गति बहुत धीमी है। अतः मुख्य मंत्री महोदय ने चाहा है कि विभागों के पैंडिंग केसों का निपटान शीघ्रातिशीघ्र किया जाए और प्रशासकीय सचिव इन मामलों का स्वयं Review करें और इनके शीघ्र निपटान हेतू समय बद्ध लक्ष्य निर्धारित करें। अतः निवेदन है कि इस सम्बंध में अपेक्षित कार्यवाही तुरन्त की जाए और की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत कराया जाए।

3. सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार निलम्बित सरकारी कर्मचारियों के बारे में मासिक विवरण प्रत्येक मास की समाप्ति के 10 दिन के भीतर भेजनी अपेक्षित है। लेकिन पिछले कई मासों से यह अनुभव में आया है कि बहुधा विभागों द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट न तो समय पर भेजी जाती है और न ही विवरणियों के सभी कालम्ज को पूर्ण किया जाता है। अतः अपने अधीन सभी विभागीय अध्यक्षों को यह भी हिदायतें जारी करें कि निलम्बित कर्मचारियों से सम्बंधित अपेक्षित विवरण पूरी तरह पूर्ण करके, इस विभाग को निर्धारित अवधि के अन्दर-2 अवश्य भेज दिया करें।

हस्ता/-
संयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।